

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक - 16-12-22

क्रमांक रीडर/2022/4841

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 कानाराम 2 चिमाराम पिसरान
बांकाराम 3 नानगाराम पुत्र सोनाराम
जाति जाट निवासी बोला तहसील व
जिला बाड़मेर।

1 मजनाराम पुत्र सजनाराम 2 रणछाराम 3
मगाराम 4 श्रवण 5 डाऊराम 6 किशनाराम
पिसरान दुर्गाराम 7 सुजाराम पुत्र रिडमलाराम
जाति भील 8 खेतसिंह पुत्र जबरसिंह जाति
राजपूत 9 तुलसाराम 10 दीपाराम 11 मांगाराम
12 मूकनाराम पिसरान आदूराम 13 गेनाराम पुत्र
लाधाराम 14 भीखाराम पुत्र कुशलाराम 15
हडुमानराम पुत्र डूंगराराम 16 जोगाराम पुत्र
किशनाराम जाति जाट निवासी बोला तहसील
व जिला बाड़मेर 21 तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 207/2022

दिनांक- 06/12/22

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बोला पटवार क्षेत्र बोला तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा
संख्या 134 रकबा 13.5084 हैक्टयर, खसरा संख्या 413/203 रकबा 10.5866 हैक्टयर, खसरा
संख्या 194 रकबा 1.9344 हैक्टयर, खसरा संख्या 198 रकबा 2.1610 हैक्टयर भूमि के चारो
तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त
किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के
जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही
करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये
मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2022/4842-45

दिनांक- 16-12-22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बोला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. कानाराम पुत्र बांकाराम वगैराह जाति जाट निवासी बोला तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी मजनाराम पुत्र सजनाराम वगैराह जाति भील निवासी बोला तहसील व जिला
बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर